न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 93/2022

कृष्ण लाल पुत्र श्री छोगाराम जाति बिश्नोई निवासी ग्राम थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. ब्लॉक फोरेस्ट ऑफिसर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री संजय चांडक	प्रार्थी
2.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 1
3.	ब्लॉक फोरेस्ट ऑफिसर पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28/3/25

.....

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** प्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री संजय चांडक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी का रजिस्टर्ड पता प्रार्थना–पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है, वही माना जावे। यह कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 16 एल.जी. डब्ल्यु. के खाता संख्या– 22/21 के प0नं0 1/293 के कि0नं0 22 ता 25 में 0.354 है0, प0नं0 1/294 के कि०नं० 1 ता 21/1 में 5.212 है0 व प0नं0 3/303 के कि0नं0 16 ता 25 में 2.530 है0 कुल 8.0960 है० नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबन्दी चक 16 एल.जी.डब्ल्यु. सम्वत 2072–75 इस प्रार्थना–पत्र के साथ बतौर साक्ष्य प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थी के धारित प0नं0 1/294 के कि0नं0 21/1 के समीपवर्ती ही प0नं0 2/295 का रकबा स्थित है। प0नं0 2/295 के कि0नं0 5 में आवागमन हेतु रास्ता हेतु भूमि स्वीकृत है। तथा कि0नं0 4 के नीचे कि0नं0 7 की पश्चिम दिशा की तरफ स्वीकृतशुदा रास्ता है। तथा इसी पत्थर नम्बर के कि0नं0 8 से होता हुआ कि0नं0 7 व कि0नं0 15 की सींवबट पर होता हुआ पूर्व दिशा की तरफ कि0नं0 15,16,25 में स्वीकृतशुदा रास्ता है। अपने कथन की पुष्टि में प्रमाणित आंशिक नजरिया नक्शा इस प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

यह कि चक 16 एल.जी.डब्ल्यु. के प0नं0 2/295 के कि0नं0 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता है। यहां तक प्रार्थी को आने–जाने में कोई परेशानी भी नहीं है। परन्तु इसी पत्थर नम्बर के कि0नं0 4 में रास्ता हेतु भूमि स्वीकृत नहीं है। इसलिए प्रार्थी को आवागमन में अत्यधिक परेशानी हो रही है। प0नं0 2/295 के कि0नं0 4 में 0.203 है0 गैर मुमकिन जंगल, 0.025 है० गैर मूमकिन खाला, व 0.025 है0 गैर मूमकिन रास्ता स्वीकृतशुदा उतर से दक्षिण दिशा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबन्दी चक 16 ए.जी. डब्ल्यु सम्वत 2072–75 प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

यह कि चक 16 एल.जी.डब्ल्यु. के प0नं0 2/295 के कि0नं0 4 में पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण प0नं0 2/295 के कि0नं0 5 में मजुंरशुदा रास्ता की भूमि से मिलान नहीं हो रहा है। मौका व रिकार्ड [illegible] कारण रास्ता अधुरा पड़ा हुआ है।

यह कि प्रार्थी को अपने कब्जा काश्त के [illegible] के लिए एंव ट्रेक्टर [illegible] लाने ले जाने के लिए समीपवर्ती मुरब्बा पर कि0नं0 4 के [illegible] से पश्चिम दिशा के रक[illegible] होकर मंजुरशुदा मार्ग से गुजरना पड़ता है। स्वीकृतशुदा [illegible] नहीं होने से प्रार्थी को [illegible] कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी को नया रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यकता हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
[illegible] अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

यह कि प्रार्थी को अपने रकबे तक पहुंचने के लिए चक 16 एल.जी.डब्ल्यु. के प0नं0 2/295 के कि0नं0 4 में 0.025 है0 भूमि उत्तर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम में रास्ता हेतु भूमि की आवश्यकता है। ताकि पूर्व से स्वीकृतशुदा रास्ता का मिलान हो सके। एंव प्रार्थी अपने भौतिक कब्जा काश्त के खातेदारी रकबे तक आसानी से आवागमन कर सके। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है।

यह कि प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र काबिल समाअत अदालतवाला है जो उचीत कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए चक 16 एल.जी.डब्ल्यु. के प0नं0 2/295 के कि0नं0 4 में 0.025 है0 भूमि उत्तर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम में रास्ता हेतु स्वीकार फरमाई जावे। ताकि पूर्व से स्वीकृतशुदा रास्ता का मिलान हो सके। एंव प्रार्थी अपने भौतिक कब्जा काश्त के खातेदारी रकबे तक आसानी से आवागमन कर सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण से रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 735 दिनांक 21.10.24 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 16 एलजीडब्ल्यू प.नं. 2/295(20) के कि. नं. 4 जोकि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गै०मु० जंगल के नाम से दर्ज है। मुताबिक मौका उक्त कि.नं. 4 के उत्तर दिशा में पूर्व–पश्चिम रास्ता चल रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गया रास्ता प.नं. 2/295(20) के कि.नं. 4 चाहा गया है जोकि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गै०मु० जंगल के नाम से दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता उक्त भूमि को नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कम दूरी का रास्ता प.नं. 2/295(20) के कि.नं. 5 में लगता है जो कि कि.नं. 6, 15, 16, 25 में दर्ज स्वीकृतशुदा रास्ते को जोड़ता है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बाद स्वीकार होने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा को अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। जिसके संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा के पत्रांक 294 दिनांक 20.03.25 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी कृष्ण लाल पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई निवासी थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम 16 एलजीडब्ल्यू के प. न. 2/295 के लि न. 4 में 0.0025 है. भूमि रास्ता हेतु निवेदन किया गया है राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 32 व 33 के तहत गैर वानिकी कार्य निषेध है।

आदेश

प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जंगलात में से रास्ता हेतु निवेदन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 16 एलजीडब्ल्यू प.नं. 2/295(20) के कि.नं. 4 जोकि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गै०मु० जंगल के नाम से दर्ज है एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा रिपोर्ट अनुसार राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 32 व 33 के तहत गैर वानिकी कार्य निषेध है अतः प्रार्थना पत्र धारा 251–क आरटीए वन क्षेत्र से रास्ता चाहे जाने के कारण तहसीलदार रिपोर्ट एवं क्षेत्रिय वन अधिकारी की रिपोर्ट के आधारा पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 28/3/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:09 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner